समक्ष न्यायालय :– सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
(पीठासीन अधिकारी : श्रीमती तृप्ति शर्मा)

दांडिक अपील क्र.	**23/2026**
फाईलिंग नंबर	सीआरए–1428–2026
सी.एन.आर. नंबर	एमपी0501001862–2026
संस्थित दिनाँक	22.04.2026

अंकित बाधवानी पुत्र श्री कैलाश बाधवानी आयु 35 वर्ष, निवासी– कृष्णापुरी, सिंधी कालोनी, नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
..........**अपीलार्थी/अभियुक्त**

विरूद्ध

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वाराः थाना प्रभारी, पुलिस थाना देहात, नर्मदापुरम जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) ....**प्रत्यर्थी/अभियोजन**

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम, जिला नर्मदापुरम (सुश्री के. शिवानी) के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण (RCT/300/2020, Filing No. 1782/2020, CNR No. MP0501-002135-2020, Filing Date 01.09.2020, राज्य विरूद्ध अंकित बाधवानी (पुलिस थाना देहात, नर्मदापुरम के अपराध क्र0 63/2020, अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा.द.सं. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम) में घोषित निर्णय दिनाँक 08.04.2026 से उद्‌भूत दांडिक अपील।

अपीलार्थी की ओर से : **श्री के. के. खंडेलवाल**, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से : **श्री शैलेन्द्र कुमार गौर**, लोक अभियोजक।

// निर्णय //
{आज दिनाँकः **22 मई, 2026** को घोषित}

01. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 415 के अंतर्गत यह अपील न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम (पीठासीन अधिकारीः सुश्री के0 शिवानी) के द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 300/2020 में पारित निर्णय दिनाँक 08.04.2026 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 338 एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के

अंतर्गत आरोप में दोषसिद्ध कर क्रमशः न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त आहत कृष्णकुमार को दस हजार रूपए प्रतिकर के रूप में धारा 357 (3) द.प्र.सं. के अनुसार अदा करने के लिए भी आदेशित किया गया है।

02. विचारण न्यायालय में पक्षकारों की प्रास्थिति अनुसार इस निर्णय की आगामी कंडिकाओं में अपीलार्थी को अभियुक्त तथा प्रत्यर्थी को अभियोजन से सम्बोधित किया जाएगा।

03. अभियोजन प्रकरण के अनुसार घटना दिनाँक 09.02.2020 को रात्रि करीब 09 बजे फरियादी कृष्णकुमार अपनी मयूर इलेक्ट्रिकल से अपनी मजदूरी के पैसे लेकर पैदल अपने घर जा रहा था। जैसे ही इंडस्ट्रियल एरिया होशंगाबाद पर अरूण दीक्षित की दुकान के सामने रोड पर पहुंचा, तभी एक्टिवा वाहन के चालक ने एक्टिवा को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और पीछे से फरियादी को टक्कर मार दी, जिसके कारण वह गिर गया और उसके दाहिने हाथ में चोटें आई। एक्टिवा का नंबर एम.पी.–05, एम.क्यू.–8532 था। फिर आहत ने अपना इलाज संजीवनी अस्पताल नर्मदापुरम में कराया और तत्पश्चात् पुलिस थाना देहात, नर्मदापुरम में घ ाटना की सूचना दी, जिसके आधार पर एक्टिवा के चालक के विरूद्ध धारा 279, 338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के तहत् अपराध क्र. 63/2020 पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान आहत की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। आहत के चिकित्सा से संबंधित दस्तावेज को एकत्रित किये गये। एक्टिवा के पंजीकृत स्वमी के रूप में अंकित बाधवानी को धारा 133 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी देने के लिए सूचना पत्र दिया गया, जिसके पालन में उसके द्वारा उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होकर वाहन को स्वयं लोकमार्ग पर चलाये जाने की जानकारी दी गई। उल्लंघनकारी वाहन को जप्त किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। समस्त अन्वेषण उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त ने धारा 279 एवं 338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध की विशिष्टियों को अस्वीकार कर विचारण की मांग की और धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दौरान स्वयं को निर्दोष

होना और झूंठा फसाये जाने की प्रतिरक्षा प्रस्तुत की।

05. अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में 05 साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करायी गयी है तथा प्रदर्श पी.1 से प्रदर्श पी.9 के दस्तावेजी साक्ष्य एवं प्रदर्श डी–1 के कथन एवं आर्टिकल ए–1 की साक्ष्य पर निर्भरता प्रदर्शित की गयी है।

06. विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय अनुसार अभियुक्त को धारा 338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम में दोषसिद्ध कर उपरोक्तानुसार दण्डादेश पारित किया गया। उक्त दोषसिद्धि व दण्डादेश से व्यथित होकर यह अपील मुख्यतः निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई हैः–

(1) विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में उपलब्ध प्रलेखों एवं साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अध्यन किये बिना दोषसिद्धि का निर्णय पारित कर गंभीर भूल की है।

(2) विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए था कि प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आई है जिससे यह प्रकट होता हो कि कथित दुर्घटना दिनांक व समय पर अपीलार्थी द्वारा वाहन चलाया जा रहा था।

(3) विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी उक्त घटना दिनांक व समय पर तथाकथित वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है, इस संबंध में प्रकरण में कोई साक्ष्य नहीं है।

अतः उपरोक्त आधारों पर एवं तर्क के दौरान उठाये गये अतिरिक्त आधारों पर आलोच्य निर्णय अपास्त कर अपीलार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

07. **अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :–**

(1) क्या विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को धारा 279, 338 भा.द.वि. एवं धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध करने में तथ्य एवं विधि की त्रुटि कारित की गयी है, परिणामस्वरूप दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य है ?

(2) यदि नहीं, तो क्या अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पारित

दण्डादेश, दंड विधि सिद्धांतों के अनुसार न होकर दण्डादेश की मात्रा में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है ?

// सकारण निष्कर्ष //

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 व 2 :–

08. फरियादी कृष्ण कुमार (अ.सा.–1) का कथन है कि घटना दिनाँक को वह मयूर इलेक्ट्रॉनिक दुकान मीनाक्षी चौक पर पेमेन्ट लेकर पैदल अपने घर जा रहा था, तब अरूण दीक्षित की दुकान के सामने इंडस्ट्रियल एरिया होशंगाबाद में अपनी साईड से जाते समय पीछे से एक एक्टिवा के चालक ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसे दाहिने हाथ में चोट आई थी। उसका दाहिना हाथ टूट गया था। उसने मौके पर टक्कर मारने वाली एक्टिवा का नंबर देख लिया था। घटना अरूण दीक्षित ने देखी थी। उसने एक्टिवा चलाने वाले का नाम पूछा तो उसने अपना नाम अंकित बाधवानी बताया था। टक्कर मारने वाले एक्टिवा के चालक ने उसे संजीवनी अस्पताल, लेकर गया था, जहां उसका उपचार हुआ था, परंतु दूसरे दिन उसने इलाज कराने से इंकार कर दिया तब उसने थाना देहात, होशंगाबाद में घटना की की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जो प्रदर्श पी–1 है।

09. दिनाँक 09.02.2020 को घटित दुर्घटना के संबंध में दिनाँक 10.02.2020 को फरियादी के द्वारा पुलिस थाना देहात, होशंगाबाद में दी गई सूचना के आधार पर एक्टिवा वाहन क्र. एम.पी.–05, एम.क्यू.–8532 के चालक अंकित बाधवानी के विरूद्ध धारा 279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत अपराध क्र. 63/2020 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट फरियादी द्वारा दर्ज कराये जाने के बिन्दु पर फरियादी के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। संजीवनी अस्पताल में प्राथमिक उपचार कराने के बाद दूसरे दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना प्रदर्श पी–1 में उल्लेखित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यद्यपि यह उल्लेख नहीं है कि दुर्घटना घटित करने वाले व्यक्ति ने सर्वप्रथम आहत को इलाज कराने का प्रस्ताव किया था और बाद में इलाज कराने से इंकार करने के कारण आहत दूसरे दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश हुआ, परंतु फरियादी के द्वारा किये गये इस कथन को प्रतिपरीक्षण में चुनौती नहीं दी गई है। दुर्घटना के बाद अभियुक्त के द्वारा आहत का प्राथमिक उपचार कराया गया

था, परिणामतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुआ विलंब ही स्पष्टीकरण योग्य है।

10. अभियुक्त की ओर से मुख्यतः यह तर्क किया गया है कि प्रतिपरीक्षण की कंडिका–3 में फरियादी के द्वारा किये गये कथनानुसार अभियुक्त उसका पूर्व परिचित नहीं है। अतः अन्वेषण के दौरान वाहन चालक की शिनाख्तगी की कार्यवाही के अभाव में वाहन चालक के रूप में अभियुक्त की संलिप्तता प्रमाणित नहीं है। उपरोक्त तर्क के संबंध में फरियादी के कथनानुसार इस तथ्य की पुष्टि होती है कि टक्कर लगने के पश्चात् वह उल्लंघनकारी वाहन का नंबर नोट करने में सफल रहा था और उसने वाहन के चालक से उसका नाम भी पूछा था। मौके पर ही वाहन चालक और वाहन का क्रमांक ज्ञात होने के कारण दूसरे दिन दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन चालक और क्रमांक दर्ज कराया गया है, अतः घटना स्थल पर वाहन चालक और वाहन का क्रमांक नोट करने का पर्याप्त अवसर होने का तथ्य प्रमाणित है।

11. अभियुक्त की ही प्रतिरक्षा अनुसार फरियादी उसका पूर्व परिचित नहीं है, अतः दुर्घटना घटित करने के कारणों के लिए अभियुक्त उत्तरदायी होने के संबंध में फरियादी द्वारा कोई मिथ्या कथन करने का कोई कारण नहीं है। फरियादी द्वारा घटना दिनांक को उल्लंघनकारी वाहन का क्रमांक और वाहन चालक की पहचान संदेह से परे स्थापित की गई है। अभियुक्त के द्वारा इस तथ्य को खंडित नहीं किया गया है कि वह एक्टिवा वाहन क्रमांक एम.पी.–05, एम.क्यू.–8532 का पंजीकृत स्वामी है। इसी वाहन के द्वारा दुर्घटना घटित होना अभिकथित है और अन्वेषण के दौरान पंजीयन स्वामी की हैसियत से धारा 133 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सूचना के जवाब में अभियुक्त द्वारा वाहन चालक के संबंध में जानकारी प्रदर्श पी–5 प्रदान करने का कथन एएसआई. दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.–3) द्वारा किया गया है। मोटर यान अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की गई उक्त जानकारी अभियुक्त द्वारा स्वयं की प्रास्थिति को स्वीकार किया गया है। परिणामतः उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वाहन चालक की पहचान संदेह से परे सुनिश्चित होने के निष्कर्ष साक्ष्य की समुचित विवेचना पर आधारित है।

12. अभियुक्त की ओर से यह तर्क किया गया है कि फरियादी के कथन

अनुसार पीछे से आने वाली एक्टिवा वाहन के चालक ने उसे टक्कर मार दी थी जिससे वह गिर गया, लेकिन वाहन चालक द्वारा वाहन को किस प्रकार से चलाया जा रहा था इसके संबंध में फरियादी द्वारा कोई कथन नहीं किये गये है। अतः धारा 279 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के आवश्यक संघटक के रूप में यह तथ्य प्रमाणित नहीं है कि उल्लंघनकारी वाहन के चालक के द्वारा वाहन को लोकमार्ग पर उपेक्षा अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाया जा रहा था।

13. फरियादी के कथनानुसार वह सड़क पर पैदल जा रहा था, तब अभियुक्त के द्वारा पीछे से वाहन की टक्कर मारने से वह आहत हुआ था। अपराध के अन्वेषण के दौरान फरियादी की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया है, जो प्रदर्श पी–2 है। उक्त नक्शा मौका में घटना स्थल ' ए ' से दर्शित स्थान है, जो इंडस्ट्रियल एरिया रोड पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क पर बांये किनारे पर स्थित है। अतः यह प्रमाणित है कि दुर्घटना घटित होते समय फरियादी सड़क के बांये किनारे पर चल रहा था और अभियुक्त के द्वारा यातायात नियमों एवं आवश्यक सावधानी का पालन किये बिना पीछे से टक्कर मारी थी। इस परिस्थिति का फरियादी का कथन और घटना स्थल की परिस्थिति से समाधान किया जा सकता है। अतः फरियादी के द्वारा **उपेक्षा**, **लापरवाहीपूर्वक** अथवा **तेज गति** जैसे सामयिक शब्दों का अपने कथनो में उल्लेख करने के अभाव में साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि अभियुक्त लोकमार्ग पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहा था और उसके द्वारा सम्यक सावधानी का पालन भी नहीं किया गया।

14. भारतीय दण्ड विधान की धारा 279, 304(ए) के प्रयोजन से उपेक्षा अथवा लापरवाहीपूर्ण कृत्य का अर्थान्वयन करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी **Alister Anthony Pareria vs State of Maharastra AIR 2012 SC 3802** में अवधारित किया गया है किः–

> " In Empress of India v. Idu Beg13, Straight J., explained the meaning of criminal rashness and criminal negligence in the following words: criminal rashness is hazarding a dangerous or wanton act with the knowledge that it is so, and that it

may cause injury but without intention to cause injury, or knowledge that it will probably be caused. **The criminality lies in running the risk of doing such an act with recklessness or indifference as to the consequences**. Criminal negligence is the gross and culpable neglect or failure to exercise that reasonable and proper care and precaution to guard against injury either to the public generally or to an individual in particular, which, having regard to all the circumstances out of which the charge has arisen.

15. इसी संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा **Abdul Subhan vs State (Nct Of Delhi) 2007 CRILJ1089, 133(2006) DLT 562** में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि:–

"11. As observed in Badri Prasad (supra) the essential ingredients of Section 279 IPC are that there must be rash and negligent driving or riding on a public way and the act must be such so as to endanger human life or be likely to cause hurt or injury to any person. As regards the offence punishable under Section 304A IPC, it was observed that the point to be established is that the act of the accused was responsible for the death and that such act of the accused must have been rash and negligent although it did not amount to culpable homicide..........rashness conveys the idea of doing a reckless act without considering any of its consequences whereas negligence connotes want of proper care."

16. प्रकरण के तथ्य परिस्थिति एवं विधि के स्थापित स्थिति को देखते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित है कि घटना दिनांक को अभियुक्त/अपीलार्थी अंतर्ग्रस्त वाहन का चालक था और लोकमार्ग पर उक्त वाहन

को अपीलार्थी के द्वारा चलाने के दौरान दुर्घटना घटित हुई। टक्कर लगने के परिणामस्वरूप फरियादी को हाथ में चोट आना और उपचार के दौरान उसके हाथ में पट्टा चढ़ाने का कथन फरियादी द्वारा किया गया। डॉ. मनोज मेहर (अ.सा.–2) द्वारा भी इस तथ्य का समाधान किया गया है कि आहत का मेडिकल परीक्षण करने पर उसके दायी कलाई में दर्द और सूजन था और एक्स–रे परीक्षण करने पर रेडियस हड्डी में अस्थिभंग होना पाया गया था। परिणामतः दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आहत कृष्ण कुमार को अस्थिभंग कारित होने का तथ्य भी प्रमाणित है। अपीलार्थी के चालन नियंत्रण के अंर्तग्रस्त वाहन में किसी प्रकार की यांत्रिकीय खराबी आने अथवा सड़क पर आकस्मिक रूप से उत्पन्न होकर अपीलार्थी के नियंत्रण के बाहर की किसी परिस्थिति के परिणामस्वरूप वाहन अनियंत्रित होने की कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः यह तथ्य प्रमाणित है कि उल्लंघनकारी वाहन को अपीलार्थी यांत्रिकीय रूप से समुचित एवं सड़क की अनुकूल परिस्थितियों में चला रहा था।

17. घटना के समय अपीलार्थी किस गति से और किस रीति से वाहन को चला रहा था इस बिन्दु पर प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में भी सड़क के किनारे चलते हुए फरियादी कृष्ण कुमार को पीछे से टक्कर मारने के अपीलार्थी के कृत्य में अंर्तनिहित जोखिम की स्थिति प्रमाणित है। अपीलार्थी/अभियुक्त के उक्त कृत्य में घोर लापरवाही के साथ–साथ स्वाभाविक परिणामों के प्रति पूर्ण अनभिज्ञता का तथ्य भी प्रमाणित है। अतः अपीलार्थी के द्वारा लोकमार्ग पर वाहन का चालन करने में अपेक्षित कोटि की सावधानी का पालन करने के अभाव एवं परिणामस्वरूप मानव जीवन एवं अन्य लोगों की संपत्ति को नुकसान कारित होने के स्वाभाविक संभावनाओं को देखते हुए अपीलार्थी के द्वारा वाहन क्र. एम.पी.05, एम.क्यू.8532 को लोकमार्ग पर उपेक्षा अथवा लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना घटित किया जाना और परिणामस्वरूप टक्कर लगने से फरियादी कृष्ण कुमार निवारिया को घोर उपहति कारित होने का निष्कर्ष साक्ष्य की समुचित विवेचना पर आधारित होकर धारा 279, 337 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्धी का निष्कर्ष साक्ष्य की समुचित विवेचना पर आधारित है।

18. धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी/

अभियुक्त के विरूद्ध इस आशय का आरोप निर्मित किया गया है कि दुर्घटना के समय उसने उल्लंघनकारी वाहन का बीमा कराये बिना उसे लोकमार्ग पर चलाया और मौके पर बीमा पेश नहीं किया। विचारण न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्षित किया गया है कि विचारण लंबित होने के दौरान अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत् वाहन के बीमा से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, अतः वाहन अबीमित होने की स्थिति में चलाया जाना भी निष्कर्षित किया गया है। उल्लंघनकारी वाहन के जप्ती पत्रक दिनाँक 18.04.2020 प्रदर्श पी–6 के माध्यम से जप्त किया गया है। उक्त दिनाँक में वाहन पंजीयन एवं वाहन चालन अनुज्ञप्ति प्रस्तुत होना, परंतु बीमा पेश न होना जप्ती पत्र में उल्लेखित है। दुर्घटना दिनाँक 09.02.2020 को घटित हुई है जबकि वाहन की जप्ती दिनाँक 18.04.2020 को बनाई गई है। वाहन को जप्त करने की तिथि पर बीमा पेश न होने के कारण यह निश्चयात्मक निष्कर्ष पारित नहीं किया जा सकता कि दुर्घटना दिनाँक की तिथि को वाहन का बीमा नहीं कराया गया। वाहन का बीमा कराया जाना निश्चित रूप से वाहन स्वामी के निजी ज्ञान का विषय है, अतः बीमा पॉलिसी को प्रस्तुत करने का दायित्व भी वाहन स्वामी पर ही है, परंतु अन्वेषण अधिकारी दिनेश कुमार शर्मा (अ.सा.–3) के कथनों से इस तथ्य का समाधान नहीं होता है कि अन्वेषण की प्रक्रिया में अभियुक्त से यह अपेक्षा की गई कि वह उल्लंघनकारी वाहन का बीमा प्रस्तुत करे। परिणामस्वरूप बीमा पॉलिसी प्रस्तुत करने की अपेक्षा करने पर बीमा पॉलिसी प्रस्तुत न होने के परिणामस्वरूप उत्पन्न कोई उपधारणा अभियुक्त के विरूद्ध नहीं की जा सकती है।

19. परिणामतः दुर्घटना दिनाँक को अभियुक्त के उल्लंघनकारी वाहन का बीमा अस्तित्व में न होने का तथ्य प्रमाणित नहीं है, अतः धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत पारित दोषसिद्धि के निष्कर्ष भी साक्ष्य के समुचित विवेचना पर आधारित नहीं है।

20. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किया गया। धारा 279 एवं 338 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील अस्वीकार की गई।

21. अभियुक्त के विरूद्ध पारित दण्डादेश पर विचार किया गया। धारा 338 भा.दं.वि. के अंतर्गत अपराध, धारा 279 भा.दं.वि. के अपराध के संव्यवहार की

निरंतरता में घटित होने के परिणामस्वरूप भारतीय दंड संहिता की धारा 71 के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा धारा 338 भा.द.वि. के अंतर्गत दण्डादेश पारित किया गया है। उक्त दण्डादेश के अंतर्गत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया है। आहत को हुई शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा हेतु दस हजार रूपए प्रतिकर अदा करने के लिए भी आदेशित किया गया है।

22. दुर्घटना घटित होने के परिणामस्वरूप आहत को अस्थिभंग कारित हुआ है। प्रारंभिक रूप से आहत को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के पश्चात् अभियुक्त के द्वारा अपने नैतिक दायित्व के निर्वहन से इंकार किया गया परिणामस्वरूप फरियादी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए विवश हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मात्र न्यायालय उठने तक के कारावास के दंड से दंडित करते हुए फरियादी को हुई क्षतियों के लिए प्रतिकर अदा करने के लिए आदेशित किया गया है। यह दंडादेश प्रकरण की परिस्थितियों में न्यूनतम होकर अपीलीय क्षेत्राधिकारिता में हस्तक्षेप योग्य नहीं है। परिणामतः धारा 338 भा.द.वि. के अंतर्गत पारित दंडादेश की पुष्टि की जाती है।

23. आंशिक रूप से अपील स्वीकार कर अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत पारित दोषसिद्धी एवं दंडादेश अपास्त किया गया। अपीलार्थी को धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया गया। धारा 279, 338 भा.द.वि. के अंतर्गत पारित दोषसिद्धी एवं धारा 338 भा.द.वि. के अंतर्गत पारित दंडोदश के विरूद्ध अपील निरस्त की गयी।

24. निर्णय की प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही./—
(श्रीमती तृप्ति शर्मा)
सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही./—
(श्रीमती तृप्ति शर्मा)
सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम
जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

नर्मदापुरम,
दिनाँकः 22 मई, 2026

TRIPTI SHARMA

Digitally signed by TRIPTI SHARMA
Date: 2026.05.22 17:06:35 +0530

– –